न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 17/2020 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00007

उनवान

1. श्री कमलेश पिता होमाजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री केसुलाल पिता रामाजी मीणा उम्र बालिग
3. श्री नरेश पिता मन्नालालजी मीणा उम्र बालिग
4. श्री रूपलाल पिता रोडाजी मीणा उम्र बालिग
5. श्रीमती लकुबाई पत्नि होमाजी मीणा उम्र बालिग

सभी जाति मीणा निवासीयान डईला, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्री जमनालाल पिता उदाजी मीणा उम्र बालिग जाति मीणा निवासी धावडीमंगरी, गांवडापाल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्रीमती नाथी पत्नि जमनाजी मीणा उम्र बालिग जाति मीणा निवासी धावडीमंगरी, गांवडापाल तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री भेरूलाल पिता पेमाजी मीणा उम्र बालिग जाति मीणा निवासी डईला तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हेमा पिता पेमाजी मीणा उम्र बालिग जाति मीणा निवासी डईला तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं क्रोसवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

दिनांकः 04—05—2026

उपस्थितः— श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता —वादीगण
श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता —प्रतिवादी संख्या 1, 2
श्री अनिल भारजी अधिवक्ता— प्रतिवादी संख्या 3, 4

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि मौजा ईसरवास टापरान पटवारी हल्का ईसरवास तह. सलूम्बर जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान खाता संख्या 189—189 संवत 2075—2078 आराजी नम्बर 531/0.26, 532/0.13, 533/0.18, 534/1.93 कुल किता 4 रकबा 2.50 हैक्टेयर कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार, स्वामी वादीगण हैं जिसमें प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का हक, हिस्सा, आधिपत्य नही हैं।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादीगण जो राजनैतिक प्रश्रय प्राप्त हो संख्या बल मे अधिक होकर ताकतवर होकर झगडालु प्रवृति के है, वादीगण गरीब मजदुर होकर शांतीप्रिय इंसान है जिसका प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाते हुए जबरन वादपत्र की उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते है। वादग्रस्त भूमि आबादी व रोड के नजदीक होने व बहुमुल्य भूमि होने से प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई है जिस हेतु प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के साथ लडाई–झगडा कर जबरन मौके पर वादीगण को बेदखल करना चाहते है जिसमे जबरन प्रतिवादीगण घुसकर वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने की गरज से आये दिन अन्दर पशु घुसा देते है, बाड काट देते है कोट गिरा देते है मना करने घर नहीं मानते है इस पर कई बार प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ लडाई–झगडा भी किया है । प्रतिवादीगण को कई बार समझाया है पर वे नहीं मान रहे है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण ने दिनांक 12–05–2020 को पुलिस थाना सलूम्बर मे लिखित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की पर फिर भी प्रतिवादीगण नही मान रहे है तथा मौके पर जबरन निर्माण करने व वादीगण की भूमी पर कब्जा करने की नियत से निर्माण सामग्री भी इकट्ठी कर ली है तथा मारोमार निर्माण करने को आमदा हो रह है, रोकने पर भी नहीं मान रहे है तथा मौके पर जाने पर वादीगण को प्रतिवादीगण जान से मारने के हथियारो से लेंस होकर गुम रहे है, इसलिये मजबुरन वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मजबुरन श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः प्रार्थना की जाती हैं कि–

(क)–कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमी में वादीगण के शांतीपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण उनके नोकर, परिजन आदि कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नही करे न ही करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारीर फरमावें ।

(ख)–कि दौरान वाद, वादपत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित भुमि पर प्रतिवादीगण कोई जबरन कब्जा कर लेते हैं या कोई निर्माण कर वादीगण को बेदखल कर देते हैं तो प्रतिवादीगण से कब्जा पुनः वादीगण को आदेशात्मक व्यादेश से दिलाया जावे एवं दौराने बेदखली का आंकलन कर नुकसानी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाना फरमावें तथा प्रतिवादीगण के निर्माण को उनके खर्चे से हटाने की डिक्री फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब मय क्रोसवाद पेश किया कि वादग्रस्त आराजी मोजा ईसरवास टापरान पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर में वादीगण की खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है, लेकिन यह अस्वीकार है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के आधिपत्य में हो एवं वादीगण उसके एकमात्र मालिक, काबिज हो एवं उसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा स्वामित्व नही हो, अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी संख्या 534 रकबा 1.93 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता लगातार बेरोकटोक बिना किसी बाधा के करीब 50 वर्षों से ज्यादा अवधि से काबिज काश्त थे, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता पेमा जी के निधन के बाद प्रतिवादी भेरा उक्त आराजीयात पर एक मात्र काबिज काश्त है। सभी वादीगण एक ही परिवार के होकर काफी संख्या में है, जो भुलबल व धनबल में काफी सक्षम है, और वे प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी संख्या 534 से बेदखल करना चाहते है। वादीगण का यह कहना अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण जबरन घुसकर वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

की गरज से आये दिन अन्दर पशु घुसा देते हो, बाड काट देते हो, कोट गिरा देते हो, मना करने पर नही मानते हो, एवं लडाई झगडा करते हो, एवं समझाने पर भी नही मान रहे हो। वादग्रस्त आराजी संख्या 534 रकबा 1.93 हैक्टर पर करीब 50 वर्षों से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता पेमाजी काबिज काश्त थे, एवं उनकी बाद मृत्यु वादग्रस्त आराजी संख्या 534 प्रतिवादी संख्या 3 भेरा के हिस्से में आने के कारण प्रतिवादी भेरा उस पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी भेरा ने वादग्रस्त आराजी के चारो ओर थुर की बाड लगा रखी है एवं इस गर्मी, उन्हाला में चुरण घास एवं मुंग की फसल बो रखी है तथा बारीश खरीफ के समय ग्वार व सोयाबिन की फसल बो रखी थी, सर्दी रबी के समय गेहुँ एवं सरसो की फसल बोते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त खेतो में सिंचाई हेतु ट्युब वेल भी खुदवा रखी है, तथा वहाँ पर एक रिहायशी मकान केलुपोश बना रखा है, जिसमें वादी संख्या 3 अपने परिवार समेत निवास करता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2, प्रतिवादी संख्या 3 के खेत में स्थायी रुप से मजदुरी करता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 3 का सगा भाई है जिसने वादग्रस्त आराजी संख्या 534 अपने भाई प्रतिवादी संख्या 3 को पाती बंटवाडे मे दी है। वादीगण का यह कहना अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण ने दिनांक 12–05–2020 को पुलिस थाना सलूम्बर में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की. फिर भी प्रतिवादीगण नही मान रहे हो, तथा मोके पर जबरन निर्माण करने व वादीगण की भुमि पर कब्जा करने के नियत से निर्माण सामग्री ईकट्ठी की हो, तथा निर्माण करने पर आमदा हो, और रोकने पर भी नही मान रहे हो, एवं हथियारो से लेस होकर घुम रहे हो, उक्त तथ्यो को वादीगण ठोस दस्तावेजी सबुतो से, मोके के फोटोग्राफ्स से प्रमाणित करावे। वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जिस कारण वादीगण का उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण ने क्रोस वाद बाबत् स्थायी व आदेशात्मक व्यादेश का पेश कर अंकित किया कि मौजा ईसरवास टापरान पटवार मण्डल ईसरवास तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर के आराजी संख्या 534 रकबा 1.93 हैक्टर, लगान 1.12 रुपये पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता पेमा जी करीब 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त थे, उनकी बाद मृत्यु उक्त आराजी संख्या 534 पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 संयुक्त रुप से मालिक बन गये लेकिन मृत्यु के उपरान्त ही वादग्रस्त आराजी संख्या 534 रकबा 1.93 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 भेरा के मौखिक बटवाडे में अपने भाई प्रतिवादी संख्या 4 हेमा से प्राप्त हुई, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 के वादग्रस्त खेतो में काफी समय से कार्य कर रहे है। तब से लेकर आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 3 लगातार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने वादग्रस्त आराजी को और अधिक मेहनत कर उसे उपजाऊ बनाया तथा उसके चारो ओर थुर की बाड को और मजबुत किया एवं सिंचाई हेतु ट्युब वेल खोदा एवं उसमे एक रिहायशी मकान कच्चा केलुपोश बनाया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 अपने परिवार समेत निवास कर रहा है तथा वादग्रस्त आराजी में काश्त बेरोकटोक, बिना किसी बाधा के करता आ रहा है।

वादीगण ने वादग्रस्त आराजी संख्या 534 को गलत तरीके से कब्जा नही होते हुए भी, वादी नरेश के नाबालिग होते हुए भी. तथा प्रतिवादी संख्या 3 को सुनवाई का नोटिस दिये बिना आंवटन करवायी है, जिस कारण आंवटन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी लकुडी पत्नी होमा, कमला पत्नी रुपलाल, नरेश पुत्र मन्नालाल, रामा, होमा, रुपलाल पिता रोडा जी मीणा ने दिनांक 21–12–2001 को नमुना दरख्वास्त जो भुमिहिन काश्तकार को काश्त के लिए जमीन मिलने बाबत, राजस्थान

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 56 के अन्तर्गत आंवटन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आदेश एडवायजरी, कमेटी सलूम्बर द्वारा दिनांक 22–12–2001 को तहसीलदार, विधायक, प्रधान, सरपंच ने भुमिहिन व्यक्ति होने की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती ककुडी पत्नी होमा, कमला पत्नी रुपलाल, नरेश पिता मन्नालाल मीणा को आंवटन करने की अनुमति दी गई थी, इसके विपरीत दिनांक 22–12–2001 को ही रामा, होमा, रुपलाल पिता रोडा, नरेश पिता मन्नलाल मीणा को कब्जा सिपुर्दगी रिपोर्ट एवं मोका कब्जा सिपुर्दगी रिपोर्ट बनायी गई। जब रामा, होमा, रुपलाल पिता रोडा को एडवायजरी कमेटी द्वारा एलोटमेन्ट करने की अनुमति नही दी गई थी, तो उन्हे कब्जा सिपुर्द किया जाना विधिक रुप से गलत है, तथा इसी के आधार पर राजकीय दस्तावेजो में रामा, होमा, रुपलाल पिता रोडा, नरेश पिता मन्नालाल मीणा के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जो भी अपने आप में विरोधाभासी है। क्योकि एडवायजरी कमेटी द्वारा केवल लकुडी पत्नी होमा, कमला पत्नी रुपलाल, नरेश पिता मन्नालाल को ही एलोट करने की अनुशंषा की गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 को वादग्रस्त आराजी के एलोटमेंन्ट के आवेदन से पूर्व दिनांक 21–11–2001 को न्यायालय तहसीलदार सलूम्बर द्वारा नाजायज कब्जा राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधिन बनाये गये प्रकरण संख्या 607/2001 में दिनांक 26–11–2001 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया. जिससे यह प्रमाणित है कि आवंटन के आवेदन से पूर्व वादग्रस्त आराजी संख्या 534 पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज था। इससे पूर्व भी प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 06–12–1997 को धारा 91 के अधिन प्रकरण संख्या 545/1997, दिनांक 28–12–1999 को धारा 91 के अधिन प्रकरण संख्या 516/1999, दिनांक 07–10–2000 को धारा 91 के अधिन प्रकरण संख्या 734/2000 में नोटिस न्यायालय तहसीलदार सलूम्बर में उपस्थित होने हेतु दिये गये थे। जिससे यह प्रमाणित है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी संख्या 534 के आंवटन से पूर्व एवं आंवटन के बाद लगातार आराजी संख्या 534 पर काबिज काश्त प्रतिवादी संख्या 3 ही है। जिस कारण वादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान आप न्यायालय से सादर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का उक्त जबाव दावा रेकर्ड पर लिया जाकर, वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध कोस वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिकी पारित की जावें–

(अ)–क्रोसवाद की कलम संख्या में वर्णित भुमि में वादीगण प्रतिवादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का अवरोध, हस्तक्षेप न तो स्वयं करे एवं न ही नोकर, परिजन, या किसी अन्य से करावें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध फरमायी जावें।

(ब)–कि दोहराने वाद, कोस वाद की कलम संख्या में वर्णित भुमि में वादीगण द्वारा जबरन कोई कब्जा कर लिया जाता है, या निर्माण कर लिया जाता है तो वादीगण से कब्जा पुनः प्रतिवादीगण को आदेशात्मक व्यादेश के जरिये दिलाया जावें एवं दोहराने बेदखली का आंकलन कर हुए नुकसान एवं वादीगण के कब्जे निर्माण को उनके खर्चे से हटाने की डिकी पारित की जावें।

वादीगण ने प्रतिवादीगण के क्रोसवाद का जवाब पेश कर अंकित किया कि आराजी नं. 534 पर प्रतिवादी संख्या 03 व 04 श्री भेरूलाल व श्री हेमा के पिता का कभी भी कब्जा या काश्त नही रही है, पेमाजी जो प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पिता थे जिनका कब्जा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नं. 534 पर नही होकर आराजी नं. 2333/534 रकबा 0.43 हेक्टर पर था जो कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 भेरूलाल, प्रतिवादी संख्या 04 हेमा के पिता पेमाजी को सन् 2001 मे आवंटित हुई, बाद आवंटन श्री पेमाजी ने अपनी आवंटनशुदा आराजी नं. 2333/534 रकबा 0.43 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती नाथी को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के विक्रय कर दी जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमती नाथी के खाते दर्ज है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 03 व 04 या उनके पिता या अन्य प्रतिवादीगण ने भूमि को विकसित की हो यह सरासर गलत है। प्रतिवादीगण ने जबरन वादीगण के आराजी नं. 534 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जिसका वादीगण ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा पुलिस थाना मे भी रिपोर्ट दे रखी है।

क्रोस वादपत्र की कलम संख्या 02 अस्वीकार है। आराजी नम्बर 534 रकबा 1.93 हेक्टर भूमी वादीगण रामा, होमा, रूपलाल पिता रोडा, नरेश पिता मन्नालाल को सन् 2000 में आवंटित हुई ओर उन्ही को कब्जा सिपूर्व किया गया, श्रीमती लकुडी या श्रीमती कमला को कभी उक्त आराजी नं. 534 की भूमी मे से कोई भूमी आवंटित नहीं हुई न ही कब्जा सिपूर्व किया, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को आराजी नं. 534 जो वादीगण को आवंटित हुई है, के कभी भी धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम के नोटिस जारी नहीं हुए थे, प्रतिवादीगण को जो नोटिस जारी हुए थे वो उनके कब्जे के आराजी नम्बर 2333/534 रकबा 0.43 हेक्टर के हुए थे ओर कब्जे के आधार पर भूमी कब्जेदार को आवंटित हुई थी जो उन्होने प्रतिवादी संख्या 02 नाथी को विक्रय कर दी है इसलिये आराजी नं. 534 मे प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा, अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 534 के एकमात्र स्वामी, काबिज, खातेदार, मालिक वादीगण है, राजस्व रेकार्ड मे भी भूमि वादीगण के खाते है, इसलिये सुविधा सन्तुलन का बिन्दु व अपूर्णितय क्षति तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के मुकाबले वादीगण के पक्ष में है, इसी बिनाह पर प्रतिवादीगण का क्रोस प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अतः एव जवाब मे प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का क्रोस वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश को सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

वाद निस्तारण हेतु प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया वादीगण मौजा ईसरवास टापरान पटवार हल्का ईसरवास की खाता संख्या 189 आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534 कुल किता 04 रकबा 2.50 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

   —बजिम्मे वादीगण

2. आया क्रोसवादकर्ता प्रतिवादीगण मौजा ईसरवास टापरान पटवार हल्का ईसरवास के आराजी नम्बर 534 रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

   —बजिम्मे प्रतिवादीगण

3. दादरसी/अनुतोष?

प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने न्यायालय मे हाजिर होकर क्रोसवाद विड्रॉ का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे सुनवाई के बाद आदेशिका दिनांक 07.09.2025 को स्वीकार किया जाकर क्रोसवाद मे कार्यवाही ड्रॉप की गई। आदेशिका दिनांक 01—09—2025 को प्रतिवादी संख्या 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल भारती ने वकालतनामा पेश किया एवं हाजिर रहे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यु. 1 श्री कमलेश पिता होमाजी मीणा एवं पी.डब्ल्यु 2 श्री केशुलाल पिता रामाजी मीणा के शपथ पत्र पेश कीये जिनसे जीरह प्रतिवादी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता द्वारा की गई, प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने जीरह नही करना चाहा इसलिये उनकी जीरह नील रही। वादीगण ने अपने समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 189 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस प्रदर्शित कराये।

आदेशिका दिनांक 19–01–2026 को प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने निवेदन किया कि वे जीरह नही करना चाहते है एव ना ही कोई साक्ष्य पेश करना चाहते है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3, 4 साक्ष्यबन्द की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने समर्थन मे गवाह डी.डब्ल्यु. 1 जमनालाल पिता उदा मीणा एवं डी.डब्ल्यु. 2 गोता पिता देवा मीणा का शपथपत्र पेश किये जिनसे जीरह वादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई एवं बयान दर्ज कराये। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही कराये।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि मौजा ईसरवास टापरान पटवारी हल्का ईसरवास तह. सलूम्बर जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान खाता संख्या 189–189 संवत 2075–2078 आराजी नम्बर 531 / 0.26, 532 / 0.13, 533 / 0.18, 534 / 1.93 कुल किता 4 रकबा 2.50 हैक्टेयर कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार, स्वामी वादीगण हैं, प्रतिवादीगण जबरन दखलन्दाजी का प्रयास कर रहे है इसलिये इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने वादीगण का दावा डिक्री किये जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने बहस मे अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया वादीगण मौजा ईसरवास टापरान पटवार हल्का ईसरवास की खाता संख्या 189 आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534 कुल किता 04 रकबा 2.50 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का मुख्य कथन यह है कि आराजी नं. 531 से 534 किता 04 कुल रकबा 2.50 हेक्टेयर उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वे खातेदार और कब्जेदार हैं। प्रतिवादीगण जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, झगड़ा करते हैं, बाड़ तोड़ते हैं, पशु छोड़ते हैं, निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए प्रतिवादी को जमीन में हस्तक्षेप से रोका जाए एवं उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादीगण ने अपने समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यु. 1 एवं पी.डब्ल्यु. 2 एवं प्रदर्श 1 व 2 पेश किये। प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 189 में वादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों का खंडन करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने ना गवाह पेश कीये ना ही सबूत दिये। प्रतिवादी अपना कब्जा साबित नही कर पाये है। वादीगण वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

के खातेदार होने से निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। अतः अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2–आया क्रोसवादकर्ता प्रतिवादीगण मौजा ईसरवास टापरान पटवार हल्का ईसरवास के आराजी नम्बर 534 रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने मुख्य तर्क यह है कि उनके पिता 50 वर्षों से काबिज काश्तकार थे, अब प्रतिवादी उसी जमीन पर कब्जे में हैं, उन्होंने खेती की, ट्यूबवेल लगाया, मकान बनाया है, वादीगण उन्हें बेदखल करना चाहते हैं इसलिये वादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा मांगी है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे कोई ठोस दस्तावेज (राजस्व रिकॉर्ड) पेश नहीं किया, ना ही कब्जे का पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। प्रतिवादी नं. 3 व 4 गवाही नहीं दी, सबूत नहीं दिया एवं बाद में क्रॉस वाद स्वयं वापस ले लिया। वादीगण अपना पक्ष साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर साबित करने मे सफल रहे है। प्रतिवादी अपना कब्जा साबित नहीं कर पाए और क्रॉस वाद भी वापस ले लिया, इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3–दादरसी/अनुतोष

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता गवाह के कथनो ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष मे है ।प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे कोई ठोस दस्तावेज (राजस्व रिकॉर्ड) पेश नहीं किया, ना ही कब्जे का पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। प्रतिवादी नं. 3 व 4 गवाही नहीं दी, सबूत नहीं दिया एवं बाद में क्रॉस वाद स्वयं वापस ले लिया। वादीगण अपना पक्ष साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर साबित करने मे सफल रहे है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण का क्रोसवाद निरस्त किया जाना एवं वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा ईसरवासटापरान पटवार हल्का ईसरवास मे स्थित वादीगण की भूमि आराजी संख्या 531, 532, 533 एवं 534 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी नही करे एवं ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे। प्रतिवादीगण का क्रॉस वाद निरस्त किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय दिनांक **04–05–2026** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर